राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शकुन्तला बनाम लादूराम 01/2026 137/2026 176/2026 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 252/2025 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22/12/2025 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 01/2026, 137/2026 एवं 176/2026 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस तीनो पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
17/04/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादीगण के पिता स्व. श्री नारायण भट्टो की गली तहसील आमेर जिला जयपुर के गत खसरा नम्बर 190 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं वर्तमान बन्दोबस्त में उक्त खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर 536 रकबा 0.76 हेक्टेयर 537 रकबा 0.4 हेक्टेयर बनाते गये हैं। उक्त विवादित आराजी वादीगण के पिता स्व. श्री नारायण की खातेदारी आराजी है उनकी मृत्यु के पश्चात एवं वादीगण काबिज रहे काश्त करते आ रहे है एवं अपने पिता की मृत्यु के पूर्व से लगान राज सरकार को अदा करते हैं। प्रतिवादीगण के बर्जगान अमर सिंह व तेज सिंह ने तहसील के कारकून से मिलकर गलत रूप से उक्त विवादित आराजी का नामान्तरकरण धारा 19 आर. टी. एक्ट 1955 के अन्तर्गत खुलवा लिया। जबकि तहसीलदार को इस प्रकार का नामान्तकरण खोलने का कोई अधिकार नहीं था। जो नामान्तरकरण तहसीलदार से दिनांक 23.10.1960 को प्रतिवादीगण संख्या। लगायत 12 के पूर्वज अमर सिंह व तेज सिंह के नाम स्वीकार किया था, जो क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42-बी में प्रावधानों के कतई विपरीत होने कारण अवैध है। उक्त विवादित आराजी मुदत कदीम से वादीगण के पिता स्व. श्री नारायण बहैसियत खातेदारी कब्जा काश्त मे चली आ रही है। प्रतिवादीगण के बुर्जगान का कमी भी कब्जा नहीं रहा और न ही वर्तमान में कब्जा प्रतिवादीगण का है. प्रतिवादीगण के बर्जमान अमरसिंह व तेज सिंह, ने फर्जी तौर पर खसरा गिरदावरी तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलकर दर्ज कराई है। जिसकी जानकारी वादीगण के पिता स्व. श्री नारायण व वादीगण को कभी भी नहीं रही। वादीगण के पिता स्व. श्री नारायण अपने उक्त विवादित आराजी पर डोल लगा रहे थे, उस समय प्रतिवादी नम्बर लगायत 6 के पिसर माधोसिंह ने दो अजनबी व्यक्तियों को हाथ के इशारे से उक्त विवादित आराजी की सीमा बताई, वादीगण के पिता द्वारा जानकारी करने पर उन व्यक्तियों ने बताया कि वह उक्त आराजी का बेचान करना चाहता है इस पर वादी के पिता द्वारा यह बताये जाने पर की उक्त आराजी उनकी है तब प्रतिवादी नं. 4 लगायत 6 के पिसर ने जाहिर किया कि उक्त विवादित आराजी बहुत पहले ही हमारे नाम खातेदारी हो राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	01/2026 शकुन्तला बनाम लादूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चुकी है। हम उक्त आराजी का ऐसे व्यक्तियों को बेचान कर देंगें, जो उन्हें जबरिया बेदखल कर देंगे। इस पर वादी के पिता ने अपने अभिभाषक से राय लेने पर पूर्व रेकार्ड की नकल ली तब पुख्ता जानकारी उन्हें दिनांक 08.05.2007 को हुई कि नामान्तरकरण संख्या 114 दिनांक 23 10.1960 के द्वारा विवादित आराजी का धारा 19 के तहत स्वीकार हुआ है. ऐसी अवस्था में वाद कारण दिनांक 23.10.1960, 1.6.07 को उत्पन्न हुआ तब से निरन्तर जारी है। वादी के पिता स्व. श्री नारायण ने वाद कारण उत्पन होने पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष दिनांक 09. 07.2007 को एक वाद बाबत घोषणाधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय अस्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया था. जो कि वादीगण के पिता का दिनांक 24.092009 को लम्बी बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया, वादीगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति है, जिन्हें विधि के बारे में कतई कोई ज्ञान नहीं रहा, और ना ही वादीगण को वादीगण के पिता द्वारा नियुक्त किये गये अधिवक्ता द्वारा वादीगण के पिताजी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण से सम्बंधित कोई जानकारी दी गई. जिस कारण वादीगण के पिता स्व. श्री नारायण लाल द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 11.11.2010 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं रही क्योकि तत्समय वादीगण के पिता स्व. श्री नारायण ही समस्त कार्यवाही में जाते थे। वादीगण अपने पिताजी की मृत्यु के पश्चात निर्बाध रूप से उक्त आराजी पर कब्जे काश्त रहे है व उक्त आराजी का अपने उपयोग-उपभोग में बखूबी काम लेते आ रहे है। जिस कारण वादीगण इसी विश्वास में थे कि उक्त कृषि भूमि उनके नाम है। दिनांक 08.01.2021 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत ु के पिसर श्री माधोसिंह, उक्त आराजी पर आया और वादीगण को धमकाने लगा कि उक्त आराजी तो उसकी है, उसके द्वारा वादीगण को एलानिया धमकी दी गई कि इस सम्बंध में मुकदमा चल रहा है वादीगण को जमीन खाली करनी पड़ेगी। जिस पर वादीगण ने अपने पिता स्व. श्री नारायण की पुरानी अलमारी को खोलकर उसमे रखे कागजात को देखा तो उसमे एक दावे की फोटो प्रति मिली, जिस पर दिनांक 09.01.2021 को अपने जानकार अधिवक्ता की मदद से वादीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के सम्बंध में जानकारी करी व नकल का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। वादीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद दिनांक 11.11.2010 को अदम पैरवी अदम हाजरी मे खारिज फरमा दिया गया था, तत्पश्चात वादीगण ने अपने अधिवक्ता की मदद से दिनांक 15.02.2021 को बाजदायरी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रार्थना-पत्र न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मुकाम जयपुर द्वारा दिनांक 26.12.2022 को इस हिदायत अनुसार खारिज फरमा दिया गया कि ऐसी दशा मे वादी (परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए) नया वाद ला सकेगा आदेश पारित किया। ऐसी दशा में वादीगण द्वारा उक्त वाद-हाजा परिसीमा विधि के तहत मियाद में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण अनुसूचित जन जाति के सदस्य है एवं प्रतिवादी 1 लगायत 12 सामान्य जाति के

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

तारीख हुक्म	01/2026 शकुन्तला बनाम लादूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सदस्य है, जो कि Juristic Person की श्रेणी में आते है। एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) अनुसुचित जनजाति के सदस्य की भूमि पर गैर अनुसुचित जाति के सदस्य को कोई अधिकार प्रदान नहीं करते है. इसलिए सर्वप्रथम तो प्रतिवादीगण को वादीमण की पैतृक आराजी पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है एवं आज भी वादीगण का अपने पिसर स्व श्री नारायण के समय से ही कब्जे काश्त है. प्रतिवादीगण के बुर्जगान ग्राम के जागीरदार रहे हैं वादीगण व वादीगण के पिता के अनपढ़ व शोषित वर्ग का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण के बुर्जगान ने राज कर्मचारियान से साज कर अवैध रूप से उक्त विवादित आराजी का नामान्तरकरण क्षेत्राधिकार के विपरीत अपने नाम करवा लिया, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था।

वादीगण अपने पिता स्व. श्री नारायण के समय से ही उक्त आराजी पर कब्जे काश्त है. पूर्व के राजश्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण के पिता स्व. श्री नारायण के नाम रही है, लेकिन बाद में प्रतिवादीगण संख्या लगायत 12 के पिसरान अमरसिंह व तेज सिंह ने साज के तहत पूर्णतया कानून के विपरित जाकर राजस्व रिकार्ड ने अपना नाम इन्द्राज करवा दिया, जिस कारण वादीगण उपरोक्त इन्द्राज को अवैध व शून्य घोषित करवा कर अमर सिंह व तेज सिंह की जगह नारायण पुत्र बलदेव दर्ज किया जाकर विरासत अनुसार वादीगण के नाम उपरोक्त कृषि भूमि का इन्द्राज दुरूस्त करवाये जाने के अधिकारी है एवं साथ ही प्रतिवादी संख्या- 1 लगायत 12 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये जाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या लगायत 12 उपरोक्त अगर सिंह व तेज सिंह के नाम के इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाते हुये अपने नाम उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण नहीं करवाये और ना ही राजस्व रिकार्ड में वादीगण के हक अधिकार के विपरित किसी प्रकार का कोई इन्द्राज करवावे। अमर सिंह व तेजसिंह का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात वादीगण का वादहेतुक समाप्त नहीं हुआ है बल्कि उनके निधन से उनके विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिवादी संख्या- 1 लगायत 12 में निहित है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 12 को पक्षकार बनाया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 13 व 14 लोक अधिकारी है, जिनके खिलाफ वादीगण ने कोई प्रभावी अनुतोष नहीं मांगा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 व 14 को नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु वाद जा के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्तरिम निषेधाज्ञा अनुतोष की मांग के कारण प्रकरण तात्कालिक प्रकृति (Urgant Nature) का होने से नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी से छुट दिये जाने का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. पृथक से प्रस्तुत है। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती डिक्री किया जाकर उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 536 व 537 वाके ग्राम भट्टों की गली तहसील आमेर, जिला जयपुर का इन्द्राज अमर सिंह व तेज सिंह के नाम अवैध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	01/2026 शकुन्तला बनाम लादूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं शून्य घोषित किया जाकर नारायण पुत्र बलदेव, जाति-मीणा के नाम दर्ज किया जावे एवं तदोपरान्त वादीगण के नाम नारायण की विरासत के अनुसार दर्ज खातेदारी दर्ज की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उत्तर जयपुर द्वारा पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी रामपुरा-डाबड़ी के समक्ष हस्तान्तरित कर दी गयी, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद संख्या 252/2025 कायम किये गये | जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण अधिवक्ता की बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 22/12/2025 पारित करते हुये वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22/12/2025 के विरुद्ध अपीलार्थी शकुंलता, सज्जन सिंह एवं लक्ष्मीनारायण ने पृथक-पृथक अपीले क्रमश: 01/2026, 137/2026 एवं 176/2026 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस तीनो पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि तीनो अपीले एक ही वाद में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से तीनो अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील हेतु निर्धारित प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनदेखी कर त्रुटीपूर्ण तामील होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तामील मानते हुये सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित जाहिर होता है | कानूनन प्रत्येक पक्षकारान की समुचित एवं विधिवत तामील करवाते हुये उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | इसके अतिरिक्त उद्धरित तथ्यों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि प्रश्नगत भूमि के विधिक क्रेतागण को पक्षकार समायोजित किये बिना ही उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित रखते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित जाहिर होता है | ऐसी स्थिति में अपील संख्या 01/2026 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी भी स्वीकार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर पक्षकारान/अपीलार्थीगण को साक्ष्य-सबूत प्रस्तुती एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	01/2026 शकुन्तला बनाम लादूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22/12/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि के विधिक क्रेतागण को पक्षकार समायोजित कर पक्षकारान को साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील क्रमश: 01/2026, 137/2026 एवं 176/2026 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर